Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले में स्वच्छता कर्मियों (सफाई कर्मचारियों) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों (सफाई कर्मचारियों) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। स्वच्छता कर्मी शहरी एवं ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार-स्तंभ होने के बावजूद समाज में सामान्यतः हाशिए पर रहते हैं तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का व्यवस्थित अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें रीवा नगर निगम एवं जिले की विभिन्न नगर पालिका परिषदों में कार्यरत 100 स्वच्छता कर्मियों को प्रतिचयन विधि द्वारा सम्मिलित किया गया है। संरचित अनुसूची के माध्यम से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर स्वच्छता कर्मियों की जनसांख्यिकीय एवं जातीय पृष्ठभूमि, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक भेदभाव के अनुभव, सामाजिक सहभागिता, नियोजन का स्वरूप, मासिक आय, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश स्वच्छता कर्मी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें आज भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति, रोजगार सुरक्षा एवं कार्यस्थल सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत निम्न स्तर की है। अंत

में स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द-

स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मचारी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रीवा जिला, सामाजिक भेदभाव, हाशियाकरण।

स्तावना-

भारतीय समाज में स्वच्छता कार्य ऐतिहासिक रूप से एक विशेष सामाजिक वर्ग से जोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस कार्य में संलग्न व्यक्तियों को दीर्घकाल से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता एवं आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं, तथापि स्वयं स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार अभी भी सीमित ही परिलक्षित होता है। स्वच्छता कर्मी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर से कचरा संग्रहण, सड़कों की सफाई, नालियों एवं सीवर लाइनों की सफाई जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, जिनके बिना नगरीय जीवन की स्वच्छता व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में भी नगर निगम रीवा तथा जिले की विभिन्न नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में सैंकड़ों स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश स्वच्छता कर्मी अनुसूचित जाति वर्ग, विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं, तथा स्थायी, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी जैसी विभिन्न नियोजन-स्थितियों में कार्य करते हैं। इनकी सामाजिक स्वीकृति, आर्थिक सुरक्षा एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा-व्यवस्था की स्थिति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से

अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे यह समझा जा सके कि इस वर्ग की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है तथा उसमें सुधार की क्या संभावनाएँ हैं।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा जिले के 100 स्वच्छता कर्मियों के प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिससे इस महत्वपूर्ण परंतु प्रायः उपेक्षित श्रमिक वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायता मिल सके।

शोध पत्र का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्यों में रीवा जिले के स्वच्छता कर्मियों की जनसांख्यिकीय एवं जातीय पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, उनकी सामाजिक स्थिति, विशेष रूप से सामाजिक भेदभाव के अनुभव एवं सामाजिक सहभागिता की स्थिति का विश्लेषण करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति, जिसमें नियोजन का स्वरूप, मासिक आय, कार्यस्थल पर सुरक्षा-व्यवस्था एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएँ सम्मिलित हैं, का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अध्ययन का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं तक पहुँच की स्थिति का पता लगाना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना भी है।

महत्व-

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से अत्यधिक बढ़ जाता है कि स्वच्छता कर्मी नगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था के अपरिहार्य अंग होने के बावजूद सामाजिक शोध एवं नीति-निर्माण में प्रायः उपेक्षित रहे हैं। इनके कार्य की जोखिमपूर्ण प्रकृति, सामाजिक कलंक तथा आर्थिक असुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इनकी वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन नगर निगम

प्रशासन, श्रम विभाग तथा सफाई कर्मचारी कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। यह अध्ययन उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा, जहाँ स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु तात्कालिक हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके साथ ही यह अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति-आधारित व्यावसायिक विभाजन एवं सामाजिक बहिष्करण के सिद्धांतों की प्रयोगात्मक पुष्टि में भी योगदान देगा।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर केंद्रित है, जिसमें प्राथमिक आँकड़ों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के रीवा जिले को चुना गया है तथा नगर निगम रीवा एवं जिले की विभिन्न नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों में से प्रतिचयन विधि द्वारा कुल 100 स्वच्छता कर्मियों का चयन किया गया है, जिनमें घर-घर कचरा संग्रहण, सड़क सफाई तथा नाली एवं सीवर सफाई से जुड़े कर्मी सम्मिलित हैं। प्राथमिक आँकड़ों के संग्रहण हेतु एक संरचित अनुसूची (इंटरव्यू शिड्यूल) तैयार की गई, जिसके माध्यम से स्वच्छता कर्मियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा सूचना प्राप्त की गई। द्वितीयक आँकड़े नगर निगम रीवा एवं संबंधित विभागों के प्रतिवेदनों से प्राप्त किए गए हैं। एकत्रित आँकड़ों का सारणीयन कर प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है तथा निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण सारणी एवं विश्लेषणात्मक विवरण के माध्यम से किया गया है।

रीवा जिले में स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक स्थिति-

इस भाग में सर्वेक्षण में सम्मिलित 100 स्वच्छता कर्मियों की जनसांख्यिकीय एवं जातीय पृष्ठभूमि, शैक्षणिक स्तर तथा उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाले प्रमुख संकेतकों का सारणीबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1

आयु वर्ग के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

आयु वर्ग	**स्वच्छता कर्मियों की संख्या**	**प्रतिशत**
20-30 वर्ष	18	18.0
31-40 वर्ष	32	32.0
41-50 वर्ष	30	30.0
51 वर्ष एवं अधिक	20	20.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 32.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी 31-40 वर्ष की आयु वर्ग में सम्मिलित हैं, जबकि 30.0 प्रतिशत 41-50 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। 20.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी 51 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं तथा सबसे कम 18.0 प्रतिशत 20-30 वर्ष की युवा आयु वर्ग के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छता कार्य में मध्यम एवं प्रौढ़ आयु

वर्ग के व्यक्तियों की सहभागिता अधिक है, तथा यह कार्य प्रायः पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवारों में निरंतर चलता रहता है।

सारणी 2

लिंग के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

लिंग	स्वच्छता कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
पुरुष	58	58.0
महिला	42	42.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 2 के अनुसार 58.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी पुरुष तथा 42.0 प्रतिशत महिला हैं। यह दर्शाता है कि स्वच्छता कार्य में महिलाओं की सहभागिता भी उल्लेखनीय है, विशेष रूप से घर-घर कचरा संग्रहण एवं सड़क सफाई के कार्यों में महिला स्वच्छता कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जबकि नाली एवं सीवर सफाई जैसे अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों में पुरुष कर्मियों की प्रधानता देखी गई।

सारणी 3

जातीय/सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

सामाजिक वर्ग	स्वच्छता कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति (वाल्मीकि एवं अन्य)	82	82.0
अन्य पिछड़ा वर्ग	12	12.0
सामान्य एवं अन्य वर्ग	6	6.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 3 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में सम्मिलित 82.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी अनुसूचित जाति वर्ग, मुख्यतः वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं, जबकि 12.0 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मात्र 6.0 प्रतिशत सामान्य एवं अन्य वर्गों से हैं। यह आँकड़े स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि रीवा जिले में स्वच्छता कार्य आज भी काफी हद तक एक विशेष जातीय समूह तक सीमित है, जो भारतीय समाज में जाति एवं व्यवसाय के परंपरागत संबंध की निरंतरता को दर्शाता है।

सारणी 4

शैक्षणिक स्तर के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

शैक्षणिक स्तर	**स्वच्छता कर्मियों की संख्या**	**प्रतिशत**
निरक्षर	22	22.0
प्राथमिक स्तर	34	34.0
माध्यमिक स्तर	28	28.0
उच्च माध्यमिक एवं उससे अधिक	16	16.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 22.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी निरक्षर हैं तथा सबसे अधिक 34.0 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। 28.0 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक तथा मात्र 16.0 प्रतिशत उच्च माध्यमिक अथवा उससे अधिक स्तर तक शिक्षित हैं। यह निम्न शैक्षणिक स्तर स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन तथा वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसरों को भी दर्शाता है, जिसके कारण यह वर्ग पीढ़ियों से इसी व्यवसाय में बना रहता है।

सारणी 5

सामाजिक भेदभाव के अनुभव के संबंध में स्वच्छता कर्मियों की राय

भेदभाव का अनुभव	स्वच्छता कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
हाँ, भेदभाव का अनुभव हुआ	46	46.0
कभी-कभी अनुभव हुआ	34	34.0
कोई भेदभाव अनुभव नहीं हुआ	20	20.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि 46.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों ने स्पष्ट रूप से सामाजिक भेदभाव का अनुभव होने की बात स्वीकार की, जबकि 34.0 प्रतिशत ने कभी-कभी भेदभाव का अनुभव होने की जानकारी दी। मात्र 20.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों ने किसी प्रकार के भेदभाव से इनकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में स्वच्छता कर्मियों का एक बड़ा अनुपात आज भी सार्वजनिक स्थलों, सामाजिक-धार्मिक आयोजनों तथा पड़ोस के व्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सामाजिक भेदभाव का सामना करता है, जो अस्पृश्यता की परंपरागत मानसिकता की निरंतरता को इंगित करता है।

सारणी 6

सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता की स्थिति

सहभागिता की स्थिति	स्वच्छता कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
पूर्ण सहभागिता	28	28.0
आंशिक/सीमित सहभागिता	47	47.0
सहभागिता नहीं मिलती/बहिष्कार का अनुभव	25	25.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 6 के अनुसार मात्र 28.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों को स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूर्ण सहभागिता प्राप्त होती है, जबकि 47.0 प्रतिशत को आंशिक अथवा सीमित सहभागिता ही मिल पाती है। 25.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों ने बताया कि उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं मिलती अथवा उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि आर्थिक एवं व्यावसायिक योगदान के बावजूद स्वच्छता कर्मी समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में समान भागीदारी से अभी भी काफी दूर हैं।

रीवा जिले में स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक स्थिति

इस भाग में स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाले प्रमुख संकेतकों, जैसे नियोजन का स्वरूप, मासिक आय, कार्यस्थल पर सुरक्षा-व्यवस्था, व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएँ तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7

नियोजन के स्वरूप के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

नियोजन का स्वरूप	**स्वच्छता कर्मियों की संख्या**	**प्रतिशत**
स्थायी	24	24.0
संविदा/आउटसोर्स	52	52.0
दैनिक वेतनभोगी	24	24.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 7 से स्पष्ट होता है कि मात्र 24.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी स्थायी नियोजन की स्थिति में हैं, जबकि सर्वाधिक 52.0 प्रतिशत संविदा अथवा आउटसोर्स आधार पर तथा 24.0 प्रतिशत दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश स्वच्छता कर्मी रोजगार-सुरक्षा से वंचित हैं, जिसके कारण उन्हें सेवा-लाभ, नियमित वेतन-वृद्धि तथा अन्य संस्थागत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है।

सारणी 8

मासिक आय वर्ग के आधार पर स्वच्छता कर्मियों का वितरण

मासिक आय वर्ग (रुपये में)	**स्वच्छता कर्मियों की संख्या**	**प्रतिशत**

5,000 से कम	14	14.0
5,001-10,000	46	46.0
10,001-15,000	28	28.0
15,000 से अधिक	12	12.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 8 के अनुसार सर्वाधिक 46.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों की मासिक आय ₹5,001 से ₹10,000 के मध्य है, जबकि 14.0 प्रतिशत की आय ₹5,000 से भी कम है। 28.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों की मासिक आय ₹10,001 से ₹15,000 के मध्य तथा मात्र 12.0 प्रतिशत की आय ₹15,000 से अधिक है। यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश स्वच्छता कर्मी न्यूनतम मजदूरी के आसपास अथवा उससे कम आय पर जीवन-यापन कर रहे हैं, जो उनकी आर्थिक असुरक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सारणी 9

कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति

सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता	स्वच्छता कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
नियमित रूप से उपलब्ध	22	22.0
कभी-कभी उपलब्ध	46	46.0

उपलब्ध नहीं	32	32.0
योग	100	100.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

सारणी 9 से स्पष्ट होता है कि मात्र 22.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों को दस्ताने, मास्क, गमबूट एवं वर्दी जैसे सुरक्षा उपकरण नियमित रूप से उपलब्ध होते हैं, जबकि 46.0 प्रतिशत को यह उपकरण कभी-कभी ही प्राप्त होते हैं। 32.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों ने बताया कि उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध ही नहीं होते। यह स्थिति स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक है, विशेष रूप से नाली एवं सीवर सफाई जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों में संलग्न कर्मियों के लिए।

सारणी 10

स्वच्छता कर्मियों द्वारा अनुभव की गई प्रमुख व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएँ

स्वास्थ्य समस्या	अनुभव करने वाले कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
श्वास संबंधी समस्या	38	38.0
त्वचा रोग	31	31.0
पीठ/जोड़ों का दर्द	44	44.0
संक्रामक रोग का खतरा अनुभव	52	52.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

यह प्रश्न बहु-उत्तरीय (मल्टीपल रिस्पॉन्स) प्रकार का था, अतः प्रतिशत का योग 100 से भिन्न है।

सारणी 10 से स्पष्ट होता है कि 52.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों ने संक्रामक रोग होने का खतरा अनुभव किया है, जो इस व्यवसाय की उच्च जोखिम-प्रकृति को स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त 44.0 प्रतिशत ने पीठ अथवा जोड़ों के दर्द, 38.0 प्रतिशत ने श्वास संबंधी समस्या तथा 31.0 प्रतिशत ने त्वचा रोग का अनुभव करने की जानकारी दी। यह आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि स्वच्छता कार्य से जुड़े व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम गंभीर हैं तथा नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

सारणी 11

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं तक पहुँच की स्थिति

योजना/सुविधा	लाभान्वित कर्मियों की संख्या	प्रतिशत
आयुष्मान भारत योजना	42	42.0
भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) कवरेज	26	26.0
सफाई कर्मचारी कल्याण योजना अंतर्गत लाभ	18	18.0
किसी भी योजना का लाभ नहीं	30	30.0

स्रोत : प्रस्तुत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित प्राथमिक आँकड़े, 2026।

यह प्रश्न बहु-उत्तरीय (मल्टीपल रिस्पॉन्स) प्रकार का था, अतः प्रतिशत का योग 100 से भिन्न है।

सारणी 11 से स्पष्ट होता है कि 42.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मी आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि मात्र 26.0 प्रतिशत को भविष्य निधि अथवा कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त है। सफाई कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत मात्र 18.0 प्रतिशत कर्मियों को लाभ मिल पाया है, जबकि 30.0 प्रतिशत स्वच्छता कर्मियों को किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी स्वच्छता कर्मियों की बड़ी संख्या सामाजिक सुरक्षा तंत्र से बाहर है, जो उनकी आर्थिक असुरक्षा को और अधिक गंभीर बनाता है।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में कार्यरत स्वच्छता कर्मी, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति वर्ग विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं, आज भी सामाजिक भेदभाव, सीमित सामाजिक सहभागिता तथा निम्न शैक्षणिक स्तर की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी अधिकांश स्वच्छता कर्मी असुरक्षित रोजगार-स्थितियों, न्यूनतम मजदूरी स्तर की आय, सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित पहुँच जैसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़े अनुपात में स्वच्छता कर्मियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से संक्रामक रोगों के खतरे का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नगरीय स्वच्छता व्यवस्था में इनके अपरिहार्य योगदान के बावजूद स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अभी भी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है।

सुझाव-

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी स्वच्छता कर्मियों को चरणबद्ध रूप से स्थायी नियोजन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार-सुरक्षा एवं सेवा-लाभ प्राप्त हो सकें। सभी स्वच्छता कर्मियों को दस्ताने, मास्क, गमबूट एवं वर्दी जैसे सुरक्षा उपकरण नियमित रूप से तथा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए, विशेष रूप से नाली एवं सीवर सफाई जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों में संलग्न कर्मियों हेतु। स्वच्छता कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे संक्रामक रोगों एवं अन्य व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर उपचार संभव हो सके। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित हो सके। अंततः यह भी सुझाव दिया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेष रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा सफाई कर्मचारी कल्याण योजना का लाभ प्रत्येक स्वच्छता कर्मी तक अनिवार्य रूप से पहुँचाया जाए, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक गरिमा दोनों सुदृढ़ हो सकें।

संदर्भ-

1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (2023). वार्षिक प्रतिवेदन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. नगर निगम रीवा (2023). स्वच्छता कर्मचारियों संबंधी प्रशासनिक अभिलेख एवं वार्षिक प्रतिवेदन। रीवा (म.प्र.)।
3. मध्यप्रदेश शासन (2023). मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।

4. जनगणना निदेशालय (2011). जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, रीवा। भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. सिंह, बी.आर. (2019). भारत में सफाई कर्मचारी : सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

6. शर्मा, पी.के. (2020). जाति, व्यवसाय एवं सामाजिक बहिष्करण। न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

7. मिश्रा, आर.एन. (2018). स्वच्छता कर्मियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन। अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

8. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2022). अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रतिवेदन। भारत सरकार, नई दिल्ली।

9. यादव, एस.के. (2017). अस्पृश्यता एवं सामाजिक परिवर्तन। रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।

10. भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।